शिलांग, 8 जून, 2005

सा.का.नि. 211.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद्, सचिवालय, शिलांग वर्ग 'क' भर्ती नियम, 1997 जहां तक वे कार्यपालक इंजीनियर (पावर) के पद और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (वर्ग 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 1985, जहां तक वे अनुसंधान अधिकारी (लघु उद्योग) के संबंध में है, का अधिक्रमण करते हुए, परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व

की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में कार्यपालक इंजीनियर (पावर) और अनुसंधान अधिकारी (लघु उद्योग) के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं; नामत :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, कार्यपालक इंजीनियर (पावर) और अनुसंधान अधिकारी (लघु उद्योग), वर्ग 'क' पर भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. **भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि.**—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

5. **निरर्हता.**—जिसने,—

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों, या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम, 30 के तहत देय है।
1	2	3	4	5	6
1. कार्यपालक इंजीनियर (पावर)	01* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अन्तर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क', राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	10,000-325-15,200 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी
7	8	9
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती प्रणाली : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	यदि भर्ती, प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
10	11	12
पुनर्नियोजित सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक अनुबंध सहित) सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) :—केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त संगठनों या सांविधिक संगठनों के अधिकारी : (क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में सदृश पदधारी; या (ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 8000-13500 के वेतनमान के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में छह वर्ष की सेवा या समकक्ष; या (iii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 6500-10500 के वेतनमान के पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा या समकक्ष; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभवधारी : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में बैचलर डिग्री; और (ii) हाइड्रो -इलेक्ट्रिक उत्पादन परियोजनाओं और पोषण तथा वितरण सहित विद्युत विकास परियोजनाओं और योजनाओं की तैयारी कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण का पांच वर्ष का अनुभव । **सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए :** सशस्त्र बल के मेजर या समकक्ष स्तर के कार्मिक जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त या रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले हों और जो प्रतिनियुक्ति के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, उन पर भी विचार किया जाएगा। चयन हो जाने पर ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति पर रहने की अनुमति दी जाएगी जिस तारीख से वे सशस्त्र बल से कार्यमुक्त होने वाले हों। उसके बाद पुनर्नियोजन आधार पर उनकी सेवाएं जारी रखी जा सकेंगी। यदि ऐसे पात्र अधिकारी पद पर वास्तविक चयन के पूर्व सेवानिवृत हो गए हों या रिजर्व के लिए स्थानांतरित हो गए हो तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन आधार पर होगी। (सिविल पद के संदर्भ में अधिवर्षिता की तारीख तक पुनर्नियोजन)। (केन्द्र सरकार के उसी संगठन/विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य नि:संवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के स्थायीकरण पर विचार करने के लिए वर्ग 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :— 1. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय —सदस्य 3. सलाहकार (पावर), पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय —सदस्य	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

Shillong, the 8th June, 2005

G.S.R. 211.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong Group 'A' Recruitment Rules, 1997, in so far as they relate to the post of Executive Engineer (Power) and North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'A' & 'B' posts) Recruitment Rules, 1985, in so far as they relate to the post of Research Officer (Small Scale Industries), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Executive Engineer (Power) and Research Officer (Small Scale Industries) in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called North Eastern Council Secretariat, Shillong, Executive Engineer (Power) and Research Officer (Small Scale Industries) Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Numer of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect or any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether the benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Executive Engineer (Power)	01* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 10,000-325-15,200.	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for re-employed Armed Forces Personnel

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
Deputation (including short-term contract) For Armed Forces Personnel—Deputation/ Re-employment	**Deputation (including short-term contract) :—** Officers of the Central Government/State Governments/Union Territories/Public Sector Undertakings/Semi Government or Autonomous organisation or statutory organization : (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in the scale of pay of Rs. 8000—13500; or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in the scale of pay of Rs. 6500—10500 or equivalent in the parent cadre/department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Bachelor's Degree in Electrical Engineering from a recognized University or equivalent; and (ii) five years' experience in formulation, execution and supervision of power development projects or schemes including hydro-electric generation projects and transmission and distribution. **For Armed Forces Personnel :** The Armed Forces Personnel of the rank of Major or equivalent who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing the educational qualifications and experience prescribed for deputationist shall also be considered. If selected, such officers will be givendeputation terms up to the date on which they are due for release from the armed forces. Thereafter they may be continued on re-employment terms. In such case eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment up to the age of superannuation with reference to civil post).

12
(Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/contract shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation of Armed Forces Personnel re-employed consisting of :— 1. Secretary, North Eastern Council Secretariat —Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Development of North Eastern Region —Member 3. Adviser (Power), North Eastern Council Secretariat —Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.